International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.11 No.1 Sept-Oct 2023

नवादा जिले में आर्थिक विकास की स्थिति: चुनौतियाँ और संभावनाएँ : एक भौगोलिक विश्लेषण

नागेन्द्र कुमार
NET, JRF,भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोध गया
DOI- 10.5281/zenodo.16758201

सारांश :

नवादा जिला, बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से विशिष्ट पहचान रखता है। इस जिले की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। यद्यपि नवादा जिले में प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदाओं और जनशक्ति की भरपूर उपलब्धता है, फिर भी यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ माना जाता है। यह शोधात्मक लेख नवादा जिले की वर्तमान आर्थिक स्थिति, प्रमुख विकास क्षेत्रों, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों, और वहाँ के नागरिकों की जीवन गुणवत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, परंतु कृषि उत्पादन मानसून पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण अस्थिर रहता है। इसके अतिरिक्त, जिले में लघु और कुटीर उद्योगों, खनिज संसाधनों (जैसे ग्रेनाइट और बॉक्साइट), और सेवा क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार) का भी योगदान है, परंतु इन क्षेत्रों की विकास गति धीमी है। बेरोजगारी, आधारभूत संरचना की कमी, वित्तीय सेवाओं की सीमित पहुँच और तकनीकी ज्ञान की कमी नवादा जिले के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएँ बनकर उभरी हैं। हालांकि इन चुनौतियों के बीच विकास की संभावनाएँ भी प्रबल हैं। जिले की कृषि व्यवस्था में यदि सिंचाई सुविधा, जैविक खेती और आधुनिक तकनीक को जोड़ा जाए, तो उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। खनिज संसाधनों पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना, पर्यटन स्थलों का विकास (जैसे ककोलत जलप्रपात), युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएँ नवादा को विकास की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इस लेख में सरकारी योजनाओं, नीतियों, पंचवर्षीय योजनाओं और सामाजिक सहभागिता का समावेश करते हुए नवादा जिले की आर्थिक दशा का संपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि यदि संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, तो नवादा जिला आने वाले वर्षों में एक समृद्ध और विकसित क्षेत्र के रूप में उभर सकता है।

शब्दकुंजी – ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विकास की संभावनाएं, स्वरोजगार, सरकारी योजनाएं, सामाजिक-आर्थिक संरचना।

नवादा जिले का संक्षिप्त परिचय

नवादा जिला बिहार राज्य के दक्षिण-मध्य भाग में स्थित एक प्रमुख प्रशासनिक और ऐतिहासिक जिला है। यह मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है और अपने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताओं के कारण राज्य के अन्य जिलों से अलग पहचान रखता है। नवादा की सीमाएँ उत्तर में गया, पूर्व में नालंदा, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में शेखपुरा जिलों से मिलती हैं। नवादा जिले की स्थापना 1973 में की गई थी, जो पहले गया जिले का एक हिस्सा था। यह क्षेत्र प्राचीन मगध साम्राज्य का अंग रहा है और बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक प्रभावों को भी अपने भीतर संजोए हुए है। यहाँ की प्रमुख भाषाएँ हिंदी, मगही और उर्दू हैं, जबकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। भौगोलिक दृष्टि से नवादा में मैदान, पठारी क्षेत्र और वनाच्छादित क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं – सकरी, खिरोई और धनरज, जो कृषि के लिए जल स्रोत का कार्य करती हैं। कृषि इस जिले की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जबकि कुछ क्षेत्रों में खनिज संसाधन जैसे बॉक्साइट और ग्रेनाइट भी पाए जाते हैं। नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात, पावापुरी, हिसुआ बाजार, रजौली पहाड़ी क्षेत्र आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में अभी और विकास की आवश्यकता है, परंतु नवादा धीरे-धीरे एक समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। यह जिला बिहार के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है यदि संसाधनों का सही उपयोग और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो।

आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति

कृषि पर निर्भरता:नवादा जिले की लगभग 78% जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। प्रमुख फसलें धान, गेहूं, दालें और सब्जियाँ हैं। अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर है, जिससे उत्पादन में अस्थिरता रहती है।(नवादा जिला प्रशासन) कृषि विविधता सूचकांक एक अध्ययन के अनुसार, नवादा का "Livelihood Diversity Index" 0.555 है, जो राज्य में दूसरा सबसे उच्च है। यह दर्शाता है कि जिले में कृषि के साथ-साथ अन्य आजीविका के साधनों का भी उपयोग किया जाता है। उद्योगों की स्थिति:नवादा में बड़े उद्योगों की कमी है। कुछ छोटे और मध्यम उद्योग जैसे सिल्क बुनाई (कादिरगंज), पत्थर चिप्स और चावल मिलें हैं। भविष्य की संभावनाएँ:राजौली में 2,000 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना की योजना है, जो जिले के औद्योगिक विकास में सहायक हो सकती है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP):वर्ष 2011-12 में नवादा जिले का सकल घरेलू उत्पाद ₹3,20,585 लाख था। नेट घरेलू उत्पाद (NDP):उसी वर्ष में नेट घरेलू उत्पाद 2,88,065 लाख रहा।

सामाजिक और मानव विकास

पिछड़ा क्षेत्र: 2006 में नवादा को भारत के 250 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया गया था और यह "Backward Regions Grant Fund Programme" के अंतर्गत आता है। विकास योजनाएँ हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 142 योजनाओं का उद्घाटन और 60 योजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिनमें मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बहुउद्देश्यीय ऑडिटोरियम और औद्योगिक क्षेत्र का विकास शामिल है।

बुनियादी ढांचा और जल आपूर्ति

गंगा जल आपूर्ति योजना:गंगा जल को नवादा, गया और राजगीर जैसे जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाने की योजना है, जिससे पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। नवादा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, जिसमें उद्योगों की कमी है। हालांकि, हाल की विकास योजनाएँ और प्रस्तावित परियोजनाएँ जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक हो सकती हैं। कृषि नवादा जिला की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। जिले की लगभग 84% आबादी गांवों में रहती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर करती है। जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्र 248732 हेक्टेयर है। खेती योग्य भूमि 147474 हेक्टेयर, शुद्ध बोया क्षेत्र 117400 हेक्टेयर, सकल फसल क्षेत्र 141400 हेक्टेयर और फसल सघनता 1.22 है। पूरे जिले का पीएच लगभग तटस्थ है और कुछ हिस्सों में यह थोड़ा अम्लीय है। मिट्टी में जिंक, बोरॉन, सल्फर और लौह जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। जिले में उत्पादित मुख्य फसलें धान, गेहूं, दालें, मक्का, तिलहन, आलू, प्याज और सब्जियां हैं। मशरूम, आलू और पान जिले में उगाए जाने वाली गैर-अनाज फसलों में से हैं।कृषि-क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश के अलावा मौसमी कृषि-कार्यों के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों की जरूरत होती है। जमीन की तैयारी से लेकर बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि की खरीद तथा सिंचाई की व्यवस्था से लेकर फसलों की कटाई तक तरह-तरह के कृषि-साधनों की आवश्यकता पड़ती है और किसी भी अवस्था में यदि चूक या ढिलाई हुई, तो फसलों की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होती है।

जल संसाधन

भारत में कृषि अब भी काफी हद तक प्रकृति और मौसम की दया दृष्टि पर निर्भर है। यही कारण है कि देश के अधिकांश हिस्सों में कृषि वर्षा आश्रित है और मौनसून की कमी अथवा अधिकता के आधार पर फसलों की उत्पादकता घटती-बढ़ती रहती है। अतः विभिन्न फसलों की उत्पादकता और कृषकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सिंचाई के अन्य साधनों का कारगर उपयोग किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) लागू की गयी है जिसका लक्ष्य है हर खेत को पानी तथा प्रति बूंद अधिक फसल। कहना न होगा कि कृषि क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों का विकास मुख्यतया सिंचाई-साधनों पर निर्भर है। कृषि की सबसे प्रमुख आवश्यकताओं में से एक सिंचाई की समय पर उपलब्धता है। हालांकि, नवादा जिले में 1,47,474 हेक्टेयर बोया क्षेत्र और 1,41,400 हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र केवल 62,000 हेक्टेयर है। नवादा जिला सूखा ग्रस्त है औरयहां की कृषि मुख्यतया मानसून पर निर्भर है, जिसमे हाल के वर्षों में, अनियमित पैटर्न देखा गया है। जिले में कोई बारहमासी नदी नहीं है। ग्राउंड वाटर अनुमान समिति, 1997 के अनुसार, मेसकौर प्रखंड जो की अर्ध क्रिटिकल के रूप में वर्गीकृत है, को छोड़कर सभी प्रखंड सुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है।

कृषि यंत्रीकरण:

भारत में हरित क्रांति से बीजों की उन्नत किस्मों, सिंचाई के साधनों और कृषि यंत्रीकरण के समन्वय से ही भारत में विकास हो पाई। कृषि-कार्यों को समय पर पूरा करने में कृषि यंत्रीकरण भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में कृषि की प्रचुर उत्पादकता और खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता हासिल करने में हम समर्थ रहे हैं। फसलों की कटाई के बाद उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी न केवल उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाती है, बल्कि ग्रामीण जनसमुदाय को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है. कृषि यंत्रीकरण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले

कुछ महत्त्वपूर्ण यंत्रों और उपकरणों में ट्रैक्टर, पावर टिलर, थ्रेशर, रोटावेटर, डिस्क हैरो, कम्बाइन हार्वेस्टर आदि प्रमुख हैं।

कृषि के वाणिज्यीकरण होने से कृषि-मशीनों का प्रयोग काफी बढ़ गया है. देश में वर्ष 1971-72 के दौरान कृषि-कार्यों में पशु-श्रम का हिस्सा 65% था, जो वर्ष 2008-09 में घटकर 13% रह गया है. दूसरी ओर कृषि-क्षेत्र में यांत्रिक शक्ति / विद्युत ऊर्जा का प्रयोग इसी अवधि के दौरान 40% से बढ़कर 80% हो गया है. जुताई, थ्रेशिंग और परिवहन के लिए आजकल ट्रैक्टरों का प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। देश के अन्य हिस्सों की भाँति जिले में भी अब कृषकों के रवैये में बदलाव दिख रहा है। विगत वर्षों में खेती के लिए टैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, डिस्क हैरो, पावर टिलर आदि यंत्रों और उपकरणों का प्रचलन जिले में काफी बढ़ चुका है।

बागवानी :-

भारत विश्व में फल-सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उल्लेखनीय है कि फलोद्यान और बागवानी गतिविधि भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय जलवायु पर निर्भर होती है। बागवानी फसलों / गतिविधियों में फल, सब्जियों, फूल, रेशम उत्पादन, मशरूम उत्पादन, नर्सरी, आदि शामिल हैं। बागवानी से जुड़ी एक और समस्या कृषि / खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव है। यही कारण है कि भारत सरकार और नाबार्ड ने कृषि / खाद्य प्रसंस्करण की पहचान एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में की है और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऋण के प्रयोजन से इसे प्राथमिकता क्षेत्र माना है। गौरतलब है कि यदि बुनियादी एवं विपणन सुविधाएँ सुव्यवस्थित हो, तो बागवानी गतिविधि अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होती है। साथ ही, भूजल स्तर की गिरावट को रोकने और पर्यावरण-संतुलन को बनाए रखने में भी बागवानी की विशेष उपयोगिता है। नवादा जिला की कृषि जलवायु स्थिति विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण / बागवानी फसलों जैसे आम, अमरूद, पपीता, केले, बेल, औषधीय और सुगंधित पौधों, मशरूम आदि के लिए अनुकूल है। पान को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य द्वारा आत्मा के माध्यम से आवश्यक सुविधा प्रदान किया जा रहा है। हाल के दिनों में जिले में औषधीय पौधों उत्पादन में तीव वृधि दर्ज की गयी है। मशरूम की खेती को लाभदायक और पर्यावरण अनुकूल उद्यम माना जाता है। सामान्य लोगों में जागरूकता की कमी के कारण व्यावसायिक रूप से मशरूम की खेती अभी भी बड़े पैमाने पर नहीं की जा रही है।

वानिकी तथा बंजर भूमि विकास

पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता की शुद्धता को बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण एवं वन क्षेत्र का विकास अत्यन्त आवश्यक है परन्तु जनसंख्या की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी, कल-कारखानों और आवासीय जरूरतों में हो रही वृद्धि के परिणामस्वरूप वन-क्षेत्र सिमटते जा रहे हैं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण की सुरक्षा और विभिन्न वन-उत्पादों की मांग को पूरा करने की दृष्टि से वनों की बहुविध उपयोगिता पर बल दिया गया है और यह आवश्यकता रेखांकित की गई है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई भाग वनों और वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए. वन क्षेत्र के विकास से न केवल पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में आय और रोजगार के प्रचुर अवसर भी सुलभ होते हैं। शीशम, जामुन, महुआ, आम, अर्जुन, नील, यूकेलिप्टस, बबूल, आंवला, आदि वृक्ष कृषि वानिकी । फार्म वानिकी की दृष्टि से काफी लाभप्रद सिद्ध होते हैं. साथ ही आज पूरे देश में बांस के उत्पादों की भी भारी मांग है, जिसके परिणामस्वरूप बॉस की खेती काफी लोकप्रिय हो रही है। वन-क्षेत्र के विकास से न केवल पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रमें आय और रोजगार के प्रचुर अवसर भी सुलभ होते हैं।

वानिकी तथा बंजर भूमि विकास की वर्तमान स्थिति (नवादा जिले है0 में)

क्र. संख्या	विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	भौगोलिक क्षेत्र	2494
2.	कुल वन क्षेत्र	63775
3.	कल्चरबल वेस्टलैंड	1131
4.	फेलो जमीन	2783

स्रोतः वन विभाग, 2011

भौगोलिक क्षेत्र –

- नवादा जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,494 वर्ग किलोमीटर है, जो हेक्टेयर में 2,49,400 होता है यह क्षेत्र कृषि, वानिकी, निवास, उद्योग आदि सभी उपयोगों को सम्मिलित करता है।

कुल वन क्षेत्र –

- जिले का लगभग**25.6% भाग वन क्षेत्र**है, जो राज्य के औसत से अधिक है। इसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन तथा सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। इससे ईंधन, चारा, लकड़ी, औषधीय पौधे

आदि संसाधन प्राप्त होते हैं, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन में योगदान करता है।

कल्चरबल वेस्टलैंड-

- यह वह भूमि है जो कृषि योग्य है, लेकिन किसी कारणवश जैसे जल की कमी, क्षारीयता, उबड़-खाबड़ सतह आदि के कारण उपयोग नहीं की जा रही है। इस भूमि को सुधार कर खेती या वानिकी के लिए लाया जा सकता है।

फेलो जमीन –

- ऐसी भूमि जो एक से अधिक वर्षों तक बिना खेती के पड़ी हो, उसे फेलो भूमि कहा जाता है। यह भविष्य में खेती योग्य बनाई जा सकती है, यदि उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

पशु पालन - भेड, बकरी और सुअर पालन

भेड़,बकरी,सुअर पालन सामान्यतया लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरोंद्वारा संपन्न किया जाने वाला एक सहायक कार्यकलाप है। मांस तथा ऊन के लिए भेड़ और बकरी का पालन एवं मांस हेतु सुअर पालन काफी लाभप्रद व्यवसाय है। स्थानीय बोल-चाल में लोग बकरियों को गरीबों का एटीएम (ATM) भी कहते हैं क्योंकि उसे कभी भी बेचा जा सकता है। उसे बेचने में कोई परेशानी नहीं होती है। बकरियों और सुअरों की प्रजनन-दर बहुत अधिक होती है और अन्य पशुओं की तुलना में इनकी देखभाल की कम जरूरत पड़ती है. जिले की भौगोलिक एवं जलवायु-संबंधी स्थिति भेड़/ बकरी / सुअर पालन के लिए अनुकूल है।

मत्स्य पालन

मत्स्यपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है। आय और रोजगार के सृजन एवं पोषक आहार उपलब्ध कराने में मत्स्यपालन की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मत्स्यपालन गतिविधि के अंतर्गत ग्रामीण तालाबों में मछलीपालन, हैचरीज द्वारा मत्स्यबीजों का उत्पादन, मीठे पानी में झींगापालन, मिश्रित मत्स्यपालन, सजावटी मछलियों का उत्पादन, आदि शामिल हैं। नवादा जिला बारिश छाया क्षेत्र में आता है जहा भूमिगत जल का स्तर काफी निचे है और मिट्टी की जल प्रतिधारण क्षमता भी कम है। हालांकि जिले में निवेश गतिविधियों के रूप में मत्स्य पालन के विकास के लिए तालाबों और निचले भूमि के रूप में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, सरकार तथा निजी क्षेत्रों के अन्दर 1295 हेक्टेयर जल क्षेत्र में 728 तालाब और 10 जलाशयों हैं। मत्स्यपालन विभाग के पास 438 तालाब हैं जिनमें से 8 तालाबों को दीर्घकालिक (10 वर्ष) और 261 तालाबों को वार्षिक आधार पर पट्टे पर रखा गया है। पट्टे पर रखने के लिए 18 तालाबों पर विचार किया जा रहा है।

भूमि विकास, मृदा संरक्षण एवं वाटरशेड विकास

मृदा और जल दो एसे बुनयादी प्राकृतिक संसाधन हैं जिसके बिना कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है ताकि कृषि का उत्बदन एवं उत्पादकता दोनों बरकरार रहे। भूमि विकास से जुड़ी गतिविधियाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि की उत्पादकता बढ़ाती हैं. भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए संपन्न किए जाने वाले भूमि-विकास कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :-

- भूमि का समतलीकरण एवं कृषि भूमि का विकास
- विशेष उद्धारपरक प्रणालियों द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार
- जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण
- चारागाह प्रबंधन
- बंजर भूमि विकास
- वाटरशेड विकास

नवादा जिलामें 11,237 हेक्टेयर बैरेन और अनुपजाऊ भूमि, 1,117 हेक्टेयर खेती योग्य अपशिष्ट भूमि, वर्तमान प्रति भूमि25,257 हेक्टेयर और 2,667 हेक्टेयर अन्य परतीभूमिहै, जो भूमि विकास की संभावनाए बताती है। जिले में मुख्य रूप से 02 प्रकार की मिट्टी उपलब्ध होती है रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के अधिकाधिक प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है तथा मिट्टी क्षारीय एवं लावणीय हो रही है जो कृषि के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अतः प्राकृतिक कम्पोस्ट - वर्मी कम्पोस्ट खाद का प्रयोग करने पर बल देने की जरूरत है। इसके लिए इसके उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग

सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम एक गतिमान एवं ओजसपूर्ण प्रक्षेत्र है जिसमें उद्यमी प्रवीणता का पोषण तो होता ही है साथ ही करोड़ों को रोजगार देकर सामाजिक दायित्व का भी निर्वाह होता है। अपने उच्च श्रमिक - मूलधन (पूँजी) अनुपात, वृहत्त भौगोलिक फैलाव एवं उच्च संवृद्धि के कारण यह प्रक्षेत्र समावेशन वाली प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है । वर्तमान में भारत सरकार का "राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन" तथा "भारत में बनाओ" योजनाओं के माध्यम से देश को उत्पादन हब बनाने का लक्ष्य है। एमएसएमई को बढ़ावा प्रदान करने हेतु मुद्रा योजना चलायी जा रही है जिसके अंतर्गत बिना किसी प्रतिभूति के तीन प्रकार की योजनाएँ हैं, शिशु रु 50,000 तक के ऋण, किशोर रु 50,000-5 लाख एवं तरुण 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण बैंक द्वारा दिया जाता है जिसमे मुद्राबैंक द्वारा पुनर्वित्त की सुविधा भी उपलब्ध है। स्टार्टअप इंडियायोजना के तहत उद्यमिता तथा नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाए जिससे की अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। स्टार्टअप इंडियाके तहत प्रति शाखा एक अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजातितथा एक महिला उद्यमी को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध है। मूल्यों के आधार पर, देश के औद्योगिक उत्पादन का 45% भाग में एवं देश से हुए निर्यातों का 40% भाग में एमएसएमईका योगदान होता है । नवादा औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है जिसमें लगभग 3% आबादी उद्योग क्षेत्र में काम कर रही है। हालांकि, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण, निकट में खनिज समृद्ध झारखंड के होने से, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्थातथा तुलनात्मक रूप से सस्ते श्रम बल होने से बैंक वित्त के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों की अपार संभावनाए है।

आर्थिक स्थिति-

नवादा जिले की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ कोई कार्यात्मक बड़े उद्योग नहीं है। यहां कृषि आजीविका का मुख्य आधार है। यहाँ 78% लोग कृषि पर निर्भर है। यहां प्रमुख व्यवसाय में वर्षा आधारित कृषि, पशुपालन आकस्मिक श्रमिक कार्य होते हैं। यहाँ केवल छोटे - छोटे 18सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम स्थित है। यहाँ बहुत पुराना एवं प्रसिद्ध रेशम लघु उद्योग हैं। खरीफ अवधि के दौरान श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा समूह करीब 4 महीने तक व्यस्त रहते हैं। इस जिले में कृषि-उद्योगों के लिए महान संभावनाएं हैं। इसमें चावल मिल, चीनी उद्योग, तिलहन उद्योग मकई का झागे उद्योग और कृषि मशीनरी उद्योग शामिल हैं। योजनाबद्ध विकास के पांच दशकों के बाद भी भारत में आर्थिक विकास गरीब तक नही पहुंचा है। प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तनों और त्वरित वैश्वीकरण के बावजूद अमीर और गरीब के बीच के अन्तर में तेजी से बढ़ोतरी होती रही है। गरीबो और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आर्थिक विकास का समूचा लक्ष्य अब तक कृषि उत्पादन, सफाई, स्वास्थ्य-परिचर्या, स्कूली पढ़ाई और आय-सृजन अन्य स्कीमो मेंदेखा गया है। लेकिन संसाधनों का अभाव और सामर्थ्य हीनता से समाज के सबसे गरीब वर्गो को, जिनमें से अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों के सदस्य है।

एतिहासिक सुविधा हीनता के कारण, अनुसूचित जातियों के अधिकतम सदस्य, जिनकी उत्तरजीविता और संवृद्धि एवं विकास के बुनियादी संसाधनो तक कोई पहुंच नहीं है,सामाजिक प्रभुत्व वाले अन्य समूहों की तुलना में, अभी भी सुविधा-वंचित बने हुए हैं। गरीबों के विकास की परम्परागत पद्धति, जो राहत और वैयक्तिक परोपकारिता पर आधारित है, अब "मनुष्य को मछली पकड़ना सिखाना" की पद्धति में बदल गई है। हालांकि न्यूनतम भोजन के रूप में राहत प्रदान करने की पद्धति के स्थान पर स्वतः विकास की पद्धति सराहनीय है, किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि विकास के उद्देश्य से पूरा ध्यान गरीबी की ओर दिया जाए। किसी व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखाने के लिए उपस्करों, मछलियों वाले अप्रदूषित जल और कीमत वसूल करने के लिए पकड़ी हुई मछलियों, आदि के विपणन के लिए प्रभावकारी तंत्र अर्थात नेटवर्क तक पहुंच के रूप में समुचित संसाधन सुलभ होने चाहिएं। इसलिए, समाज के इन गरीब वर्गों केजिनमें अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं और जो शताब्दियों से उपेक्षा झेलती आई हैं, विकास और सशक्तीकरण के लिए मछली पकड़ने का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। इस प्रयोजन से, भारत के संविधान के अनुच्छेद-15में राज्य से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। भारत में अनुसूचित जातियों के सदस्य शताब्दियों से एक अपेक्षाकृत स्थिर जाति व्यवस्था के अन्तर्गत जीवन-यापन करते रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के मामले में यह स्थिति कई गुना अधिक दुखदायी बन जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे लिंग के आधार पर और अधिक भेदभाव से पीड़ित होती हैं। सौभाग्य से, भारत का संविधान कदाचित विश्व के सर्वाधिक प्रगतिशील संविधानों में से एक है। कानून के अन्तर्गत अपने उन अधिकारों को प्राप्त करने की असमर्थता ने, जिनके बारे में उन्हें प्रायः जानकारी नहीं होती, निर्धनतम गरीबों के हित में इसका नवादा जिला बिहार के उन जिलों में शामिल है, जहाँ आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, किंतु संभावनाएँ अत्यधिक हैं।

निष्कर्ष –

नवादा जिला बिहार के उन जिलों में शामिल है, जहाँ आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, किंतु संभावनाएँ अत्यधिक हैं। यह जिला मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या खेती, पशुपालन और श्रम पर आश्रित है। खनिज संसाधनों, वन क्षेत्र, जल स्रोतों और श्रमशक्ति की उपलब्धता इसे एक संभावनाशील आर्थिक क्षेत्र बनाती है। हालाँकि, नवादा को विकास की दिशा में आगे बढ़ने से कई बाधाएँ रोकती हैं—जैसे आधारभूत ढाँचे की कमी, सिंचाई व आधुनिक तकनीकों का अभाव, बेरोजगारी, पलायन, और सीमित औद्योगिक आधार। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कौशल विकास के क्षेत्रों में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। इसके बावजूद, यदि कृषि को वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से सशक्त किया जाए, लघु और कुटीर उद्योगों को सरकारी सहयोग मिले, पर्यटन और खनिज संसाधनों का उचित विकास किया जाए, और युवाओं को स्वरोजगार व कौशल प्रशिक्षण के अवसर दिए जाएँ, तो नवादा जिले में आर्थिक उन्नति की राह

आसान हो सकती है। सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन नवादा के आर्थिक भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि नवादा जिला चुनौतियों के साथ-साथ अपार संभावनाओं से भी परिपूर्ण है। यदि संसाधनों का संतुलित उपयोग और योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो, तो यह जिला निकट भविष्य में आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकता है।

संदर्भ सूची –

1. Government of India. (2011). Census of India 2011: Bihar district census handbook – Nawada. Office of the Registrar General & Census Commissioner.
2. Government of Bihar. (2024). Economic survey of Bihar 2023-24. Finance Department, Planning and Development Division.
3. Nawada District Administration. (2024). District economy overview.
4. Krishi Vigyan Kendra, Nawada. (2023). Success stories in integrated farming system.
5. Wikipedia contributors. (2024, July 25). Nawada district. In Wikipedia, The Free Encyclopedia.
6. Singh, K. (2016). Rural development: Principles, policies and management . Sage Publications.
7. Diwakar, R. R. (1990). Bihar through the ages. Government of Bihar Publication.
8. Misra, R. P. (2002). District planning and development in India. Concept Publishing Company.
9. Sinha, A. K. (2019). Bihar ka samajik aur aarthik vikas [Social and economic development of Bihar]. Mithila Books.
10. NITI Aayog. (2018). Backward Regions Grant Fund: A review. Planning Commission of India.